रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2002.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 22 अप्रैल, 2002/2 वशाख, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपयुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 30 मार्च, 2002

संख्या पी० सी० एन०-एम०-एन०-डी०/2001-1966-71.—यतः श्री गुरदेव सिंह, पंच ग्राम पंचायत कसारला, विकास खण्ड, वल्ह को इस कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या पी० सी० एन०-एम० एन० डी०/2001-114-18, दिनांक 8-1-2002 के अन्तर्गत 15 दिन के भीतर-भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये थे, कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की संशोधित धारा 122 (ण) के अन्तर्गत पंच पद पर पदासीन रहने के अयोग्य मानते हुये पद को रिक्त घोषित किया जाये ।

तथा यह कि निर्धारित समय अवधि समाप्त होने के पश्चात भी उक्त पंचायत पदाधिकारी (पंच) से कोई उत्तर प्राप्त न होने पर उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी समरण पत्र संख्या 466, दिनांक 6-2-2002 के अन्तर्गत पुनः अवसर दिया गया कि वह कारण बताओ नोटिस में वर्णित सदर्भ में अपना स्पष्टीकरण अधो-हस्ताक्षरी के कार्यालय में 7 दिनों के भीतर-भीतर अविलम्ब प्रस्तुत करें । स्पष्टीकरण न प्राप्त न होने की दशा में यह माना जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है ।

तथा यह कि श्री गुरदेव पंच वार्ड-2, वार्ड संख्या 3 ने अपने उत्तर दिनांक 16-2-2002 द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुये तर्क दिया है कि दिनांक 7-9-1999 को उनके दो जुड़वा पुत्रियां पैदा हुई हैं तथा उनमें से एक पुत्री को उन्होंने अपनी बहन को गोद दे दिया है । इसके उपरान्त दिनांक 13-7-2001 को उक्त पंचायत पदाधिकारी के एक और सन्तान पुत्र उत्पन्न हुआ है, जिससे सन्तानों की संख्या 3 (तीन) हो गई है । इस कार्यालय द्वारा जारी पंचायत पदाधिकारी को जारी पत्र संख्या 678 दिनांक 26-2-2002 द्वारा उन्हें अपने स्पष्टीकरण की पुष्टि में अपनी तीनों सन्तानों के जन्म प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर के अनुसार अपने परिवार की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने को कहा गया था । श्री गुरदेव पंच ग्राम पंचायत कसारला द्वारा अपनी तीनों सन्तानों के जो जन्म प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर के अनुसार परिवार की जो छाया प्रति

प्रस्तुत की है, उससे उनके इस कथन की पुष्टि नहीं होती कि उनकी एक जुड़वा पुत्री उनकी बहन ने गोद ली है, क्योंकि उनके परिवार में दोनों पुत्रीयां अभी भी सम्मिलित दर्शाई गई है, यदि पुत्री को विधिवत रूप से दत्तक पुत्री स्वीकार कर भी लिया जाता है तो भी उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) के अन्तर्गत आते क्योंकि दो से अधिक सन्तान को जन्म देने पर पंचायत पदाधिकारी उपरवर्णित प्रावधान के अनुसार आयोग्यता की परिधि में आता है। उपरोक्त पंच के उक्त स्पष्टीकरण को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम व इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रकाश में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जांच किये जाने पर इसे असन्तोषजनक पाया गया है।

उपर वर्णित तथ्यों के प्रकाश में श्री गुरदेव सिंह पंच, ग्राम पंचायत कसारला, विकास खण्ड वल्ह का पंच पद पर पदासीन रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 व सम्बन्धित नियमों में उद्धत प्रावधानों प्रतिकूल होगा।

अतः मैं जगदीश चन्द शर्मा, (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम की धारा 122 (1) के खण्ड (ण) व 122 (2) के अधीन प्राप्त है, श्री गुरदेव सिंह, पंच ग्राम पंचायत, कसारला विकास खण्ड वल्ह, जिला मण्डी को तत्काल पंच पद पर आसीन रहने के आयोग्य घोषित करता हूं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 131 (1) व (2) के प्रावधान की अनुपालना में ग्राम पंचायत कसारला विकास खण्ड वल्ह के वार्ड पंच धडवाहण-2 के पद को रिक्त घोषित करता हूं।

जगदीश चन्द शर्मा,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 8 अप्रैल, 2002

क्रमांक पी0 सी0 एन0-एल0 एम0 आर0 (5)/2002-05-14. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 22 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, शिमला द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0ई0 सी0 016-18/96-578-90, दिनांक 26-3-2002 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दिनांक 31-3-2002 तक रिक्त हुए पदों के उप-चुनावों हेतू वर्ष 2000 में तैयार की गई मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण के निदेश दिनांक 1-1-2002 को पात्र मतदाता का नाम सूचि में सम्मिलित करने हेतू अर्हक तिथि मान कर निम्न कार्यक्रमानुसार हुए हैं :—

1. प्रारूप मतदाता सूचि, 2000 का प्रकाशन : 16-4-2002
2. दावे और आक्षेप प्रस्तुत करने की अवधि : 17-4-2002 से 23-4-2002 = 7 दिन
3. दावे और आक्षेप निपटाने की अवधि : 24-4-2002 से 27-4-2002 = 3 दिन
4. अपील प्रस्तुत करने की अवधि : 29-4-2002 से 4-5-2002 = 7 दिन
5. अपील निपटाने की अवधि : 7-5-2002 से 13-5-2002 = 7 दिन
6. मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन : 14-5-2002

दिनांक 31-3-2002 तक जिला सिरमौर में केवल पंचायत समिति, पच्छाद के वार्ड नं0 8—काटली के सदस्य का पद रिक्त हुआ है। पंचायत समिति पच्छाद के इस वार्ड में ग्राम सभा काटली तथा ग्राम सभा, राजों पूर्ण रूप

से सम्मिलित है तथा पंचायत समिति, पच्छाद के वार्ड नं0 8-काटली के सदस्य पद के उप-चुनाव हेतू ग्राम सभा काटली व ग्राम सभा राज्यों की वर्ष, 2000 में तैयार की गई मतदाता सूचियों का 1-1-2002 के आधार पर निधारित आयु सीमा के अनुसार पूर्वालोकन किया जाना है ।

उपर्युक्त मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17 के अन्तर्गत मैं, राकेश कौशल, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, तहसीलदार, पच्छाद को उपर्युक्त ग्राम सभाओं की वर्ष 2000 में तैयार की गई मतदाता सूचियों के पूनर्रावलोकन हेतू पूनर्विलोकन प्राधिकारी नियुक्त करता हूं ।

राकेश कौशल,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित